कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़।

नि वि दा सू च ना

जनपद न्यायालय आजमगढ़ के स्वामित्व वाले कुल 24 आवासो में अधोलिखित कार्यों हेतु सील बंद निविदा प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर नज़ारत अनुभाग में आमंत्रित की जाती है-

01. सोक पिट/सेप्टिक टैंक की सफाई की दर (जीएसटी सहित)।
02. पानी की टंकी की सफाई की दर (जीएसटी सहित)।
03. प्लांबिंग के कार्य हेतु लेबर कॉस्ट/प्रति दिन (जीएसटी सहित)।
04. राज मिस्त्री के कार्य हेतु लेबर कॉस्ट/प्रति दिन (जीएसटी सहित)।
05. दरवाजे/खिड़की के कार्य हेतु बढ़ई की लेबर कॉस्ट/प्रति दिन (जीएसटी सहित)।
06. स्विच/वायरिंग के कार्य हेतु इलेक्ट्रिशियन की लेबर कॉस्ट/प्रति दिन (जीएसटी सहित)।
07. कार्य में लगने वाली सामाग्री का भुगतान वास्तविक दरों पर (बिल प्रस्तुत करने पर लेबर कॉस्ट के साथ) किया जाएगा।

नियम/शर्तो व अन्य जानकारी के लिए जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की वेब साइट https://azamgarh.dcourts.gov.in पर जाएँ।

निविदा कार्य हेतु नियम व शर्तें-

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में ही मान्य होगी तथा संबन्धित निविदाकर्ता का पूर्ण विवरण लिफाफे पर उल्लिखित होना चाहिए।
2. निविदा निविदाकर्ता की उपस्थिती में नियत तिथि जगह व समय पर समिति द्वारा खोली जाएगी, जिसकी जानकारी नज़ारत अनुभाग से निविदा प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह बाद प्राप्त की जा सकती है।
3. सफल निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार होने के उपरांत उसे पूरे वित्तीय वर्ष 31.03.2026 तक कार्य में सेवाएँ देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दशा में पूरे वित्तीय वर्ष निविदा में उल्लिखित दर में कोई बदलाव मान्य नहीं होगा।
4. कार्य संतोषजनक ना पाये जाने अथवा कार्य में शीथीलता पाये जाने पर सफल निविदाकर्ता की निविदा किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी।
5. निविदा में नियमानुसार जी०एस०टी० की दरें सम्मिलित होनी चाहिए तथा उसका भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रति बतौर साक्ष्य नज़ारत अनुभाग में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

Santosh Kr 15/07/25

अध्यक्ष,
अवस्थापना उप-समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-06,
आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. ओ०एस०डी०, कम्प्यूटर, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध के साथ ससम्मान प्रेषित।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3. कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. केंद्रीय नाज़िर, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. केंद्रीय नाज़िर कलेक्ट्रेट को को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), जनपद न्यायालय आजमगढ़ को इस जजशिप की अधिकृत वेब साइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

Santosh Kr 15/07/25

अध्यक्ष,
अवस्थापना उप-समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-06,
आजमगढ़।